भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2792

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>आंध्र प्रदेश में पीएम-एसजीएमबीवाई</u>

2792. श्री बालाशौरी वल लभनेनी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीबाई) की विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य में प्रगति क्या है;

(ख) क्या एक करोड़ परिवारों के लक्ष्य में से अब तक केवल सोलह लाख परिवारों को ही उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत छतों पर सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ.) आंध्र प्रदेश सहित देश में इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (घ): दिनांक 11.12.2025 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) के तहत देश भर में कुल 19,59,062 आरटीएस सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिनसे 24,51,329 परिवारों को लाभ हुआ है। इनमें से 77,452 आरटीएस सिस्टम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किए गए हैं, जिनसे 80,132 परिवारों को लाभ मिला है। PMSG: MBY के तहत हुई प्रगति का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- पंजीकरण से लेकर राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी के वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों से रेपो दर + 50 बीपीएस अर्थात वर्तमान में 5.75% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर 10 वर्षों की अवधि के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण (कोलेट्रल - फ्री लोन) की उपलब्धता।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- रेस्को/यूटिलिटी आधारित एकत्रीकरण (यूएलए) मॉडलों को शामिल किया गया

- नेट मीटरिंग करार को राष्ट्रीय पोर्टल में आवेदन का हिस्सा बनाया गया है।
- पर्याप्त और योग्य वेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेंडरों के पंजीकरण के लिए सरल प्रक्रिया।
- कुशल मेनपावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- देश भर में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि जैसे जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- राज्यों/डिस्कॉमों सहित विभिन्न स्तरों पर योजना की प्रगति की नियमित निगरानी।
- क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
- शिकायतों के समय पर समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला एक कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

(ङ) मंत्रालय ने पीएमएसजी: एमबीवाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें प्रमुख समाचार पत्रों में प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापन अभियान, क्षेत्रीय चैनलों सहित एफएम स्टेशनों पर रेडियो अभियान आदि शामिल हैं। ये अभियान आंध्र प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में चलाए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश राज्य में, राज्य के डिस्कॉम और आंध्र प्रदेश लिमिटेड की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (NREDCAP) निम्नलिखित उपायों के माध्यम से पीएमएसजी: एमबीवाई के बारे में जागरूकता पैदा कर रहे हैं:

- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया विज्ञापन
- रेडियो विज्ञापन
- डिस्कॉम द्वारा संचालित घर-घर अभियान
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए लीफलेट, पैम्फलेट और सूचनात्मक सामग्री का वितरण।
- सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संगठनों में प्रदर्शनियाँ और जागरूकता शिविर।

अनुलग्नक

'आंध्र प्रदेश में पीएम-एसजीएमबीवाई' के संदर्भ में पूछे गए दिनांक 17.12.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2792 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएसजीःएमबीवाई के तहत हुई प्रगति का राज्य-वार विवरण (दिनांक 11.12.2025 तक)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्थापनाएँ (सं.)**	**लाभान्वित परिवार (संख्या)**
1	आंध्र प्रदेश	77,452	80,132
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1
3	असम	64,652	65,290
4	बिहार	13,725	14,373
5	छत्तीसगढ	16,964	18,313
6	गोवा	1,319	1,611
7	गुजरात	4,95,417	7,13,676
8	हरियाणा	45,218	50,715
9	हिमाचल प्रदेश	5,594	5,717
10	झारखंड	1,316	1,318
11	कर्नाटक	14,533	22,896
12	केरल	1,70,009	1,74,879
13	मध्य प्रदेश	78,586	81,885
14	महाराष्ट्र	3,66,593	5,84,208
15	मणिपुर	681	681
16	मेघालय	32	32
17	मिजोरम	741	743
18	नागालैंड	130	130
19	ओडिशा	24,134	24,485
20	पंजाब	10,480	10,590
21	राजस्थान	1,09,511	1,12,509
22	सिक्किम	23	23
23	तमिलनाडु	48,912	56,525
24	तेलंगाना	23,823	34,258
25	त्रिपुरा	1,622	1,633
26	उत्तराखंड	55,560	55,722
27	उत्तर प्रदेश	3,04,168	3,07,424
28	पश्चिम बंगाल	1,108	1,171
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	147	166
30	चंडीगढ़	959	959
31	जम्मू एवं कश्मीर	16,212	16,212
32	लद्दाख	1,093	1,093
33	लक्षद्वीप	688	688
34	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	5,096	8,708
35	पुदुचेरी	2,080	2,080
36	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	483	483
	कुल	**19,59,062**	**24,51,329**

*****